प्रकाशन हेतु अनुमोदित

## छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

रिट याचिका सिविल संख्या 2086/2025

1 – शेख सलीम पिता स्वर्गीय शेख साहिद 41 वर्ष, निवासी पंडित दिनदयाल उपाध्याय वार्ड तहसील तथा जिला–मुंगेली (छ.ग.)

2–शेख अलीम पिता स्वर्गीय शेख साहिद , 39 वर्ष, निवासी पंडित दिनदयाल उपाध्याय वार्ड तहसील तथा जिला–मुंगेली (छ.ग.)

3 – शेख साकिल पिता स्वर्गीय शेख साहिद , 35 वर्ष, निवासी पंडित दिनदयाल उपाध्याय वार्ड तहसील तथा जिला–मुंगेली (छ.ग.)

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – छत्तीसगढ़ राज्य कलेक्टर के द्वारा मुंगेली जिला –मुंगेली (छ.ग.)

2 – तहसीलदार मुंगेली जिला–मुंगेली (छ.ग)

3–एस. डी. ओ. (आर) मुंगेली जिला–मुंगेली (छ.ग.)

4 – आयुक्त बिलासपुर संभाग :बिलासपुर (छ.ग.)

5 – मुनीरा बेगम पिता स्वर्गीय शेख साहिद 43 वर्ष निवासी दौपारा पंडित दिनदयाल उपाध्याय वार्ड तहसील तथा जिला–मुंगेली (छ.ग.)

6 – बैतून निशा पिता स्वर्गीय शेख साहिद पति अब्दुल हमीद, लगभग 59 वर्ष, निवासी फातिमा बी अरजिगुल चॉल कुरैशी नगर हाजी करामत अली रोड विवेक इंग्लिश स्कूल कुर्ला ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र

7 – परवीन निशा पिता स्वर्गीय शेख साहिद पति अब्दुल जमील , आयु लगभग 52 वर्ष , निवासी खदावली ठाणे महाराष्ट्र

8 – बेबी शहाना पिता स्वर्गीय शेख साहिद पति नसीम अहमद लगभग 44 वर्ष , निवासी दुल्हनी गली गुरु घासीदास वार्ड जगदलपुर बस्तर (छ.ग.)

---उत्तरवादीगण

---

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्तागण हेतु : : श्री अंकुर दीवान तथा श्री अभिजात अरोड़ा,

**अधिवक्तागण**

**राज्य/उत्तरवादी संख्या 1 से 4 हेतु : श्री प्रवीण दास, उप महाधिवक्ता**

**उत्तरवादी संख्या 5 हेतु : श्री धनेश्वर यादव, अधिवक्ता**

**माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश**

**पीठ पर आदेश**

**07.05.2025**

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकुर दीवान और श्री विख्यात अरोड़ा तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री प्रवीण दास और उत्तरवादी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री धनेश्वर यादव को सुना गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए याचिका दायर की है:---

**"10.1 अतः यह प्रार्थना की जाती है कि, यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में सिविल वाद क्रमांक 148ए/2024 में सिविल न्यायाधीश वर्ग II, मुंगेली के समक्ष सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत आवेदन के लंबित रहने के दौरान राजस्व प्रकरण क्रमांक 202503250200018/ए-27/2024-25, 202503250200019/ए-27/2024-25 में अनुसूची ए, बी और सी में वाद संपत्ति के संबंध में सीजीएलआरसी 1959 की धारा 178 के तहत तहसीलदार, मुंगेली की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए रिट/आदेश/निर्देश जारी करने की कृपा करे।**

**10.2 आयुक्त बिलासपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में सीजीएलआरसी की धारा 52 के तहत लंबित स्थगन आवेदन पर निर्णय देवे कि कृपा करें।**

**10.3 कोई अन्य अनुतोष, जो यह माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुसार उचित तथा उपयुक्त समझे, याचिकाकर्ता को प्रदान करने कि कृपा करें।"**

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी संख्या 5 के विरुद्ध सिविल वाद संख्या 148-ए/2024 दिनांक 21.11.2024 को घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के साथ-साथ वैकल्पिक विभाजन तथा वादपत्र की अनुसूची ए, बी और सी में उल्लिखित संपत्ति के पृथक कब्जे के लिए इस आधार पर दायर किया है कि याचिकाकर्ताओं के पिता ने 10.08.2020 को एक वसीयत बनाई है, जो कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है। याचिकाकर्ताओं ने सीपीसी के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया है, जो भी विचाराधीन है।दिनांक 26.03.2025 को उत्तरवादी क्रमांक 5 ने सी.पी.सी. के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत आवेदन के उत्तर के साथ

अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया और दिनांक 22.01.2025 को उत्तरवादी क्रमांक 5 ने ग्राम देवरी और मुंगेली में स्थित संपत्ति के संबंध में तहसीलदार, मुंगेली के समक्ष जोत के विभाजन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें दावा किया गया कि वह याचिकाकर्ताओं के पिता की पत्नी है और इसलिए, उसका दावे वाली संपत्ति के 1/7 वें हिस्से पर अधिकार है।

4. तत्पश्चात दिनांक 02.04.2025 को नोटिस प्राप्त करने के पश्चात याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी संख्या 5 द्वारा तहसीलदार के समक्ष दायर आवेदन पर प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की, लेकिन संबंधित तहसीलदार ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए प्रकरण को जारी रखा कि सिविल वाद के साथ–साथ आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत आवेदन लंबित है और उन्होंने अगले तिथि 25.04.2025 दी है। दिनांक 21.04.2025 को उत्तरवादी संख्या 5 ने भी प्रारंभिक आपत्ति पर अपना उत्तर प्रस्तुत किया और दिनांक 03.04.2025 को सिविल वाद में अगली तिथि 10.06.2025 दी गई थी।तहसीलदार ने छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (संक्षेप में संहिता, 1959') की धारा 178 के तहत दायर प्रकरण में सिविल वाद के लंबित रहने के दौरान आगे कार्यवाही की, जिसमें स्वामित्व का प्रश्न शामिल है, इस प्रकार तहसीलदार मुंगेली की आगे की कार्यवाही से व्यथित होकर और सीपीसी के आदेश XXIX नियम 1 और 2 के तहत आवेदन के लंबित रहने से संहिता, 1959 की धारा 178 की कार्यवाही जारी रखी है, याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल वाद और अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन विचाराधीन हैं, ऐसे में तहसीलदार को संहिता, 1959 की धारा 178 के तहत कार्यवाही जारी न रखने का विकल्प चुनना चाहिए था।उन्होंने आगे कहा कि चूंकि स्वामित्व का विवाद्यक शामिल है, इसलिए विद्वान तहसीलदार को सिविल वाद के निर्णय तक प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि यह एक स्थापित विधि है कि स्वामित्व के विवाद्यक को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया है कि एसडीओ (आर) और तहसीलदार मुंगेली द्वारा पारित दिनांक 07.03.2025 और 14.10.2024 के आदेशों के विरुद्ध, याचिकाकर्ताओं द्वारा आयुक्त बिलासपुर संभाग के समक्ष वाद संपत्ति के संबंध में अपील की गई है और 17.04.2025 को संहिता, 1959 की धारा 52 के तहत स्थगन देने के लिए आवेदन पर प्रकरण की सुनवाई हुई और स्थगन आदेश के लिए अगली तिथि 24.04.2025 दी गई। यह भी तर्क दिया गया है कि सिविल न्यायालयों के निर्णय राजस्व अधिकारियों पर बाध्यकारी हैं और स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल वाद के लंबित रहने के दौरान, तहसीलदार को कार्यवाही को लंबित रखना चाहिए था। यह तर्क दिया गया है कि यदि अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन के लंबित रहने के दौरान, तहसीलदार ने वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में विभाजन का आदेश पारित किया, तो उत्तरवादी संख्या 5 वादग्रस्त संपत्ति को बेच/हस्तांतरित/बंधक रख सकता है और इससे याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति होगी।आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के पास दावे वाली

संपत्ति का कब्जा है और याचिकाकर्ताओं के पिता द्वारा उनके पक्ष में दावे वाली संपत्ति के संबंध में दिनांक 10.08.2020 को जारी वसीयत के आधार पर सिविल वाद शुरू किया गया है।

6. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने उक्त तर्क का विरोध किया तथा कहा कि याचिकाकर्ता प्रश्नगत भूमि पर अनाधिकृत कब्जाधारी हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं को उस भूमि पर कब्जा बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वन्द्वी तर्क पर विचार किया है तथा रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

8. प्रकरण  के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क पर विचार करते हुए, यह विधि का स्थापित प्रस्ताव है कि एक बार जब प्रकरण  सिविल न्यायाधिकरण न्यायालय के संज्ञान में आ जाता है, तो राजस्व न्यायालयों/तहसीलदार को प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने **नागजीराम बनाम मांगीलाल एवं अन्य** के प्रकरण  में एआईआर 1977 एमपी 8 में यह अभिनिर्धारित  किया है कि एक बार जब प्रकरण  सिविल न्यायाधिकरण न्यायालय के संज्ञान में आ जाता है, तो तहसीलदार संबंधित संपत्ति के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है।एक बार जब सिविल न्यायिक न्यायालय द्वारा मामले पर विचार कर लिया जाता है, तो तहसीलदार संबंधित संपत्ति के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। उक्त निर्णय के सुसंगत कंडिका नीचे उद्धृत हैं:---

**"16. चूँकि पूरा प्रकरण हमारे पास भेजा गया है, इसलिए उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए हम राजस्व बोर्ड और अन्य राजस्व अधिकारियों के आदेश को रद्द करते हैं और निर्देश देते हैं कि प्रकरण नायब–तहसीलदार के पास वापस जाएगा ताकि इस आदेश के आलोक में मांगीलाल के आवेदन पर आगे बढ़ा जा सके। पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि उसे वापस कर दी जाएगी।**

**17. इस प्रकरण को छोड़ने से पहले हम यह कहना चाहते हैं कि जैसा कि श्री चांदमल मेहता ने तर्क दिया है, एक वास्तविक आवेदक, जिसका विभाजन का उचित दावा है और जो राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है, को बहुत कठिनाई होने की संभावना है, यदि धारा 178 का प्रावधान वैसा ही है जैसा कि है।हम यह अच्छी तरह से देखते हैं कि प्रत्येक चतुर प्रतिवादी, जो पूरी जोत पर काबिज हो सकता है, आवेदक के स्वामित्व के बारे में कोई भी तुच्छ  विवाद खड़ा कर सकता है, जिससे विभाजन की कार्यवाही को विफल या विलंबित किया जा सके। यह एक युक्तियुक्त विधि  नहीं होगा कि आवेदक को उसके स्वामित्व की घोषणा करने या उसके हिस्से का निर्धारण करने के लिए सिविल न्यायालय में धकेला जाए, भले ही राजस्व अभिलेख  में प्रविष्टियां उसके प्रकरण का पूरी तरह से समर्थन करती हों, न ही यह एक न्यायसंगत विधि होगी कि तहसीलदार कोई जांच करे या इस आशय का निष्कर्ष दर्ज करे कि किसके पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण है, और यह निर्धारित करे कि किस पक्ष को स्वामित्व की घोषणा के लिए सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहि**

**तहसीलदार को स्वामित्व के संबंध में विवाद में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जिसमें विभिन्न नागरिक अधिनियमों के प्रकाश में बुद्धि का प्रयोग शामिल हो सकता है। राजस्व अभिलेख की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए, तहसीलदार ने, परंतुक के बिना, सामान्यतः राजस्व अभिलेख के अनुसार विभाजन करने की कार्यवाही की होती, और जिस पक्ष को राजस्व अभिलेख के अनुसार विभाजन किए जाने पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना पड़ता, वह सिविल न्यायालय में जाता है।इसलिए, हम सोचते हैं कि सभी संबंधितों के लिए न्यायसंगत तथा निष्पक्ष मार्ग यह होताःजैसे ही स्वामित्व का प्रश्न उठाया जाता है, तहसीलदार को अपने समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश जारी करना चाहिए। यदि स्थगन आदेश की तिथि से एक निश्चित निर्दिष्ट समय के भीतर कोई सिविल वाद संस्थित नहीं किया जाता है, तो तहसीलदार को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों के अनुसार विभाजन करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।यद्यपि , हम इस धारा की व्याख्या के माध्यम से ऐसा नहीं कह सकते है।हमारी अपनी सीमाएँ हैं।न्यायालय को विधानमंडल के कार्यों को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए।हमारा कार्य केवल विधानों की व्याख्या के सिद्धांतों के अनुसार विधि की व्याख्या करना तथा विधि को लागू करना है।विधानमंडल एक साधारण संशोधन द्वारा प्रत्यक्ष कठिनाई का तुरंत निवारण कर सकता है।"**

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 2416 में दर्ज **मोहम्मद आबिद एवं अन्य बनाम रवि नरेश एवं अन्य** के मामले में निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया हैः---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**"4. हालाँकि, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही निषेधाज्ञा के लिए एक वाद दायर किया है, जिसमें 05.12.2020 को सिविल न्यायालय , फैजाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई है।एक बार जब प्रकरण सिविल न्यायालय में पहुंच जाता है, तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि दण्ड प्रकिया संहिता कि धारा 145/146 के तहत कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती है और इसे समाप्त होना चाहिए। स्वामित्व या कब्जे के संबंध में पक्षों के अंतर-अधिकार अंततः दीवानी न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने हैं।"**

11. वर्तमान प्रकरण पर वापस आते हुए, चूंकि प्रकरण संबंधित सिविल क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा जब्त किया गया है, ऐसे में तहसीलदार के पास संपत्ति के विभाजन के लिए संहिता, 1959 की धारा 178 के तहत कार्यवाही शुरू करने की कोई शक्ति और क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि तहसीलदार को विधिवत सूचित किया गया है कि घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और वैकल्पिक विभाजन के साथ-साथ पृथक कब्जे के लिए एक सिविल वाद पहले से ही सिविल न्यायाधीश वर्ग II मुंगेली के न्यायालय में लंबित है, जिसे तहसीलदार ने दिनांक 07.03.2025 के आदेश के तहत दर्ज किया है। हालांकि, तहसीलदार ने अभी भी कार्यवाही समाप्त नहीं की है, इसलिए, तहसीलदार, मुंगेली के समक्ष लंबित राजस्व प्रकरण क्रमांक 202503250200018/ए-27/2024-25 और 202503250200019/ए-27/2024-25 की संपूर्ण विभाजन कार्यवाही को रद्द किया जाता है।याचिकाकर्ताओं को संबंधित सिविल न्यायालय के समक्ष अपना प्रकरण आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है और सीपीसी के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत दायर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के आवेदन के निर्णय तक, प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के कब्जे को हटाने से रोक दिया जाता है।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को सीपीसी के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत उनके आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए कोई असीमित समय नहीं दिया गया है, जो कि सिविल न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है और उन्हें उक्त आवेदन को कुछ शीघ्र समय के भीतर, अधिमानतः 45 दिनों के भीतर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है। संबंधित सिविल न्यायाधीश वर्ग II, मुंगेली को उक्त आवेदन पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

13. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निराकरण किया जाता है।

सही/–

**(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)**

**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

***अस्वीकरणः*** *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

*प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur